6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/33/2018/Vol-I/2052 Date: 6th March 2019

Notification - 49 /2019

Subject: **Guidelines for grant of 'lien' to the employees of Sikkim University**

The Executive Council in its 32nd meeting held on 8th February 2019 approved the guidelines for grant of 'lien' to the employees of Sikkim University as given hereunder:

i) Permanent employees of the University (teaching or non-teaching) who has applied through proper channel of the University for outside employment upon selection, can seek lien to the permanent position held by him/her in the University, without insisting on the notice period provided-

   a) The employees move to Central/State Government department or the autonomous/statutory body of the Central/State Govt. which include Central or State Universities, Institutes of higher education, institutes of national importance, IITs, NITs etc which are wholly or substantially funded by the Government, either Central or State.

   b) It does not include Universities or Institutions or autonomous/ statutory body or PSU etc. not wholly or substantially funded by Central/State Government.

   c) The employee can be relieved from the University after clearing all her/his dues in the University and getting NOC from all concerned. It would also involve clearing all important assignments in hand before being relieved.

   d) Notwithstanding anything contained above, a teacher desires to terminate his active engagement with the University, by seeking lien to join other institution or organization, in the middle of the semester he/she may be released at the end of the semester as provided under Clause 10 of Ordinance OB-2. However, he/she can be released in the middle of the semester provided-

- Faculty members in the concerned department agree to share the responsibility he/she is holding in respect of teaching /research co-opting a Joint Supervisor in case of Ph.D or M.Phil Students; and
- The departmental minutes are enclosed by the concerned HoD/IC through the Dean of the School.

ii) Employee on probation or those who have not been confirmed to any position in the University will not be entitled to hold lien on the post held by him/her. Such employee may resign the post to join new position outside the University after giving notice for the period as provided by the Statute 26(6).

iii) Lien granted to any employee (teaching/non-teaching) would be initially for a period of one year extendable for one more year at the discretion of the Executive Council. No lien may be granted after expiry of two years. However, if an employee is selected/ appointed to any statutory position and has a tenure then lien will be granted, as a special case, for the period of the tenure provided the employee has service left in the University till the period of that tenure.

iv) During the period of lien, the employee may continue to send remittance of NPS and other charges to the University either directly or through the organization where he is working.

v) An employee's lien on a post in the University shall stand terminated:

a) On absorption or confirmation of service in another post
b) On expiry of the lien period sanctioned by the University

vi) The University, may, fill-up such position(s) against whom 'Lien' has been granted, by appointing person(s) on contract/deputation/guest faculty etc. Regular appointment can be made after the post(s) fall vacant after termination Lien.

vii) There can be instances where an employee, who was granted lien, may join back the University and again try to seek 'lien'. In such cases there has to be

a cooling period of atleast two years from the date he/she joined back after availing 'lien'.

viii) Any doubt arising out of the applicability of above rules, the decision of the Executive Council shall be final.

Employees who are presently on 'lien' shall also be guided by the above guidelines.

Tej k- shan kaul
(T.K.Kaul)
REGISTRAR

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. All Deans of Schools of Studies
7. Dean, Students' Welfare
8. All Heads/In-charge(s) of the Departments
9. All employees of the University – circulation by email
10. Joint Registrar (Estt.)
11. System Analyst for necessary upload in the website
12. Office Copy
13. Guard file

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-2/33/2018/Vol-I /2052 दिनांक: 6 मार्च 2019

अधिसूचना - 49 /2019

विषय : **सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 'लिएन' प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश**

दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32वीं बैठक में नीचे दिये गए के अनुसार सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 'लिएन' प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किया गया है।

i) विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी (शिक्षण या गैर-शिक्षण) जिन्होंने चयनित होने पर बाहर में रोजगार के लिए विश्वविद्यालय के उचित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया है, नोटिस अवधि की अनिवार्यता के बिना विश्वविद्यालय में उनके द्वारा धारण किए गए स्थायी पद के लिए लिएन मांग सकते है, बशर्ते कि -

क) कर्मचारी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग या केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त/सांविधिक निकाय में जाते हैं, जिसमें केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, आईआईटी, एनआईटी आदि शामिल हैं, जो पूरी तरह से अथवा पर्याप्त रूप से सरकार या तो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।

ख) इसमें विश्वविद्यालय या संस्थान या स्वायत्त/सांविधिक निकाय या पीएसयू आदि शामिल नहीं हैं, जो केंद्र/राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित नहीं हैं।

ग) कर्मचारी को विश्वविद्यालय में उनके सभी बकाया को पूरा करने और सभी संबंधितों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किया जा सकता है। इसमें कार्यमुक्त करने से पहले सौंपे गए सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करना भी शामिल होंगे।

घ) उपरोक्त किसी बात के होते हुए, कोई शिक्षक विश्वविद्यालय के साथ अपने सक्रिय जुड़ाव को समाप्त करने की इच्छा रखते हुए सेमेस्टर के बीच में ही दूसरे संस्थान या संगठन में कार्यग्रहण करने के लिए लिएन की मांग करता है, तो उन्हें अध्यादेश ओबी-2 की धारा 10 के तहत सेमेस्टर के अंत में कार्यमुक्त किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें सेमेस्टर के बीच में कार्यमुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि -

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -73710
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 25165
Telefax: 25106
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

- संबंधित विभाग में संकाय सदस्य पीएचडी अथवा एमफिल के मामले में एक संयुक्त पर्यवेक्षक को शामिल करते हुए संबन्धित व्यक्ति के शिक्षण/शोध से संबन्धित जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए सहमत हो; तथा
- संबन्धित विभागधायक्ष/प्रभारी द्वारा विद्यापीठ के डीन के माध्यम से विभागीय कार्यवृत्त संलग्न किया जाता हो ।

ii) परिवीक्षा अवधि में रहने वाले कर्मचारी या जिन्हें विश्वविद्यालय में किसी भी पद के लिए पुष्टि नहीं की गई है, वे उनके पद पर लिएन लेने के लिए हकदार नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी संविधि 26(6) द्वारा प्रदान की गयी अवधि के लिए नोटिस देने के बाद विश्वविद्यालय के बाहर किसी नए पद में कार्यग्रहण करने के लिए पद से इस्तीफा दे सकते हैं ।

iii) किसी भी कर्मचारी (शिक्षण/गैर-शिक्षण) को दी गई लिएन शुरुआत में एक वर्ष के लिए होगी और उसे कार्यकारी परिषद के निर्णय के आधार पर और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी। दो वर्षों की समाप्ति के बाद किसी प्रकार की लिएन नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, यदि किसी कर्मचारी को किसी वैधानिक पद पर चयनित/नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल रहा हो, तो एक विशेष मामले के रूप में उन्हें उस कार्यकाल तक लिएन प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उस कार्यकाल की अवधि तक विश्वविद्यालय में कर्मचारी की सेवा शेष रही हो।

iv) लिएन की अवधि के दौरान कर्मचारी एनपीएस और अन्य शुल्कों का प्रेषण विश्वविद्यालय को सीधे या उस संगठन के माध्यम से भेज सकता है जहां वह काम कर रहा है।

v) विश्वविद्यालय में किसी पद पर कर्मचारी की लिएन समाप्त हो जाएगी :
   क) किसी अन्य पद में अवशोषण अथवा सेवा की पुष्टि होने पर
   ख) विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर की गयी लिएन अवधि की समाप्ति पर

vi) जिन पदों पर लिएन प्रदान की गयी है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध/प्रतिनियुक्ति/अतिथि संकाय आदि पर व्यक्तियों को नियुक्त करते हुए उन पदों को भरा जा सकता है। लिएन समाप्त होने के बाद पद रिक्त हो जाने पर उन पदों के लिए नियमित नियुक्ति की जा सकती है।

vii) ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि जहां किसी कर्मचारी, जिसे लिएन प्रदान की गयी थी, विश्वविद्यालय में वापस कार्यग्रहण कर सकता है और फिर से 'लिएन' की मांग करने का प्रयास कर सकता है। ऐसे

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

मामलों में 'लिएन' का लाभ उठाने के बाद कार्यग्रहण करने की तिथि से कम से कम दो वर्ष की निष्क्रिय अवधि होनी चाहिए।

viii) उपरोक्त नियमों के प्रयोग से उत्पन्न किसी भी संदेह के संदर्भ में कार्यकारी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी जो वर्तमान में 'लिएन' पर हैं, उन्हें भी उपरोक्त दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
7. डीन, छात्र कल्याण
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी - ईमेल द्वारा वितरण
10. संयुक्त कुसलचिव (स्थापना)
11. सिस्टम एनालिस्ट - वैबसाइट में आवश्यक अपलोड करने हेतु
12. कार्यालय प्रति
13. सुरक्षा फ़ाइल